प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 25/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंडों में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी' संबंधी अनुशंसाएँ जारी की।

नई दिल्ली, 24 फरवरी 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज '**अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी**' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) ने अपने पत्र संख्या एल-14006/01/2025-आईएमटी दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत मौजूदा बैंडों नामशः 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तें पर अनुशंसाएँ प्रदान करें। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से नव-निर्धारित 6425-6725 मेगाहर्ट्ज़ और 7025-7125 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के नीलामी की व्यवहार्यता और समय के साथ ही 600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की नीलामी पर भी नई अनुशंसाएँ का अनुरोध किया था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने

अपने पत्र दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से भादूविप्रा से 1427-1518 मेगाहर्ट्ज़ के 67 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए संभावित बैंड योजना की अनुशंसाओं का अनुरोध किया जिसमें सरकारी उपयोगकर्ता को लगातार 24 मेगाहर्ट्ज़ ब्लॉक आवंटित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए।

3. इस संबंध में भादूविप्रा ने 30.09.2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। प्रारंभ में, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.10.2025 तथा प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11.11.2025 थीं। हालांकि, उद्योग संघों और हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 04.11.2025 और 18.11.2025 तक बढ़ा दी गयी।

4. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के उत्तर में 19 हितधारकों ने टिप्पणियां प्रस्तुत की और 12 हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत की। परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भादूविप्रा ने 12.12.2025 को वर्चुअल मोड के माध्यम से परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है। अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं:

(अ) आवृत्ति बैंड की नीलामी पर अनुशंसाएँ

(क) आगामी नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंडों में उपलब्ध संपूर्ण स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए।

(ख) दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास पड़े हुए ऐसे स्पेक्ट्रम को वापस लेने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अधीन कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में हैं, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए।

(ग) आईएमटी के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल की वैधता अवधि के साथ टेलीकॉम सर्कल/ मेट्रो एरिया आधार पर की जानी चाहिए।

(घ) साइमल्टैनीअस मल्टीपल राउंड ऑक्शन (एसएमआरए) आधारित स्पेक्ट्रम नीलामी जारी रखी जानी चाहिए।

(ङ) आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने हेतु, आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) 2024 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को आईएमटी के सभी चिन्हित आवृत्ति बैंडों पर जारी रखा जाए अर्थात् एक्सेस सेवा के लिए प्राधिकार।

(च) आईएमटी स्पेक्ट्रम की आगामी नीलामी में नए प्रवेशकों के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता 100 करोड़ रुपये प्रति लाइसेंस सेवा क्षेत्र से घटाकर 50 करोड़ रुपये प्रति लाइसेंस सेवा क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये) की जानी चाहिए।

(छ) जहां तक संभव हो, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संस्पर्शी (कन्टिग्यूअस) तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए और दूरसंचार विभाग को नीलामी आयोजित करने के तुरंत बाद

हारमोनाइजेशन प्रक्रिया की जानी चाहिए और यह प्रक्रिया नीलामी के समापन की तारीख से छह महीने की समय सीमा के अंतर्गत पूरी की जानी चाहिए।

(आ) मौजूदा बैंड जैसे 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंडों के लिए निर्दिष्ट अनुशंसाएँ

(ज) मौजूदा आवृत्ति बैंडों अर्थात् 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंडों के लिए भारत में पहले से ही अपनाई जा चुकी बैंड योजनाओं को आगामी नीलामी में जारी रखा जाना चाहिए ।

(झ) मौजूदा बैंडों के लिए ब्लॉक आकार और न्यूनतम बोली मात्रा:

स्पेक्ट्रम बैंड	ब्लॉक आकार (मेगाहर्ट्ज)	स्पेक्ट्रम की न्यूनतम मात्रा जिसके लिए बोली दाता को बोली लगाने की आवश्यकता होगी (मेगाहर्ट्ज)	
		मौजूदा लाइसेंसधारी	नए प्रवेशक
800 मेगाहर्ट्ज	1.25 (युग्मित)	1.25	5, 1.25 (जहां 5 मेगाहर्ट्ज से कम उपलब्ध है)
900 मेगाहर्ट्ज	0.20 (युग्मित)	0.2	5, 0.2 (जहां 5 मेगाहर्ट्ज से कम उपलब्ध है)
1800 मेगाहर्ट्ज	0.20 (युग्मित)	0.2	5, 0.2 (जहां 5 मेगाहर्ट्ज से कम उपलब्ध है)
2100 मेगाहर्ट्ज	5 (युग्मित)	5	5
2300 मेगाहर्ट्ज	10 (अयुग्मित)	10	10
2500 मेगाहर्ट्ज	10 (अयुग्मित)	10	10
3300	10	10	10

मेगाहर्ट्ज	(अयुग्मित)		
26 गीगाहर्ट्ज	50 (अयुग्मित)	50	100

नोट: किसी भी मौजूदा एक्सेस सेवा प्राधिकार धारक को उन आवृत्ति बैंड के लिए 'नए प्रवेशक' के रूप में माना जाना चाहिए जिन लाइसेंस सेवा क्षेत्र/ क्षेत्रों में वह वर्तमान में स्पेक्ट्रम धारक नहीं है।

(ञ) मौजूदा आवृत्ति बैंडों अर्थात् 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए रोलआउट दायित्व वही होना चाहिए जो आवेदन आमंत्रित करने की सूचना (एनआईए) 2024 में संबंधित आवृत्ति बैंडों के लिए निर्धारित की गई थी।

(इ) स्पेक्ट्रम सीमा पर अनुशंसाएँ

(ट) स्पेक्ट्रम सीमा की अनुशंसाएँ निम्न प्रकार से हैं:

(i) 600 मेगाहर्ट्ज बैंड में एक्सेस सेवाओं के लिए उपलब्ध कुल स्पेक्ट्रम पर 35% की स्पेक्ट्रम सीमा निर्धारित की जाए (600 मेगाहर्ट्ज बैंड में निर्धारित ब्लॉक साइज को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ करके)।

(ii) 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंडों में एक्सेस सेवाओं के लिए कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर 35% की स्पेक्ट्रम सीमा (इसमें निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालकों को एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवंटित/ आरक्षित स्पेक्ट्रम शामिल होंगे)।

(iii) 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंडों में एक्सेस सेवाओं के लिए कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर 35% की स्पेक्ट्रम सीमा (इसमें निजी टेलीकॉम

सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालकों को एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवंटित/ आरक्षित स्पेक्ट्रम शामिल होंगे) ।

(iv) 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड में एक्सेस सेवाओं के लिए कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर 35% (निर्धारित ब्लॉक साइज को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ करके) की स्पेक्ट्रम सीमा (इसमें निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालकों को एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवंटित/ आरक्षित स्पेक्ट्रम शामिल होंगे) ।

(v) 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में एक्सेस सेवाओं के लिए कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर 35% (निर्धारित ब्लॉक साइज को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ करके) की स्पेक्ट्रम सीमा (इसमें निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालकों को एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवंटित/ आरक्षित स्पेक्ट्रम शामिल होंगे) ।

(vi) 37-40 गीगाहर्ट्ज बैंड में एक्सेस सेवाओं के लिए कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर 35% (निर्धारित ब्लॉक साइज को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ करके) की स्पेक्ट्रम सीमा (इसमें निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालकों को एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवंटित/ आरक्षित स्पेक्ट्रम शामिल होंगे) ।

(ठ) एनआईए 2024 के व्यवस्था के अनुरूप, यदि किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता ने पहले ही 35 प्रतिशत की स्पेक्ट्रम कैप से अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया है तो दूरसंचार सेवा प्रदाता को किसी भी स्पेक्ट्रम के उपयोग के उस अधिकार को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जो उसके पास पहले से है।

(ई) 600 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए विशिष्ट अनुशंसाएँ

(ड) आवृत्ति बैंड n105 (600 मेगाहर्ट्ज बैंड) को 2 x 5 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक आकार के साथ नीलाम किया जाना चाहिए और बोली लगाने के लिए ब्लॉक की न्यूनतम संख्या एक होनी चाहिए।

(ढ) यद्यपि स्पेक्ट्रम शुल्क 20 वर्षों की अवधि के लिए लगाया जा सकता है तथापि स्पेक्ट्रम की वैधता अवधि में चार वर्ष की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी सामान्य रूप से 20 वर्ष और अतिरिक्त 4 वर्ष।

(ण) 600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए रोलआउट दायित्व वही होना चाहिए जो अन्य सब-1 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए लागू होता है। हालांकि, इसमें चार साल की देरी होनी चाहिए यानी शुरुआती चार वर्षों के लिए कोई रोलआउट दायित्व नहीं होना चाहिए और लागू रोलआउट दायित्व चार साल की प्रारंभिक अवधि के बाद शुरू होना चाहिए।

(त) अन्य आवृत्ति बैंडों के लिए अग्रिम भुगतान विकल्प के अलावा, 600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए एक अतिरिक्त भुगतान विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

डिमांड नोट जारी होने से 10 दिनों के भीतर बोली राशि का 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान। खरीददार को चार वर्ष की अधिस्थगन अवधि दी जानी चाहिए (यानी दूसरे से पाँचवे वर्ष तक कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है) और शेष राशि अधिस्थगन की अवधि के बाद शेष 19 वर्षों की अवधि (छठे वर्ष की शुरुआत से) में लागू ब्याज दर पर बोली राशि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की विधिवत सुरक्षा करते हुए समान वार्षिक किश्तों में देय होनी चाहिए जो की प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से देय होनी चाहिए ।

(उ) 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड (6425-6725 मेगाहर्ट्ज और 7025-7125 मेगाहर्ट्ज) पर अनुशंसाएँ

(थ) 6 गीगाहर्ट्ज़ (ऊपरी) बैंड के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे आईएमटी के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

(द) आगामी नीलामी में 6 गीगाहर्ट्ज (ऊपरी) बैंड में उपलब्ध आवृत्ति रेंज अर्थात् 6425-6725 मेगाहर्ट्ज और 7025-7125 मेगाहर्ट्ज को नीलामी के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। डब्ल्यूआरसी-27 के परिणाम पर विचार करने के उपरांत 6 गीगाहर्ट्ज (ऊपरी) बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के मुद्दे की फिर से जांच की जानी चाहिए।

(ध) उपग्रह अपलिंक स्टेशनों से आईएमटी बेस स्टेशनों के बीच की प्रतिबंधित निर्धारित करने के लिए दूरसंचार विभाग, सभी 34 स्थानों के आसपास जहां प्रासंगिक आवृत्तियों (इन-बैंड और निकटवर्ती आवृत्तियों) में उपग्रह अपलिंक स्टेशन स्थित हैं, परीक्षण करने की योजना (सभी टीएसपी को शामिल करते हुए) बना सकता है। परीक्षणों के परिणाम को भादूविप्रा के साथ भी साझा किया जा सकता है।

(ऊ) 1427-1518 मेगाहर्ट्ज बैंड पर अनुशंसाएँ

(न) सरकार द्वारा इस बैंड को नीलामी में रखने का निर्णय लेने के बाद 1427-1518 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज के लिए उपयुक्त बैंड योजना को अपनाने से संबंधित मामले की पुन जांच की जानी चाहिए।

(ऩ) दूरसंचार विभाग 1427-1518 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में पूरक अपलिंक (एसयूएल) का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त बैंड योजना के निर्माण के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मानकीकरण निकायों के साथ इस मामले को उठाने की संभावना का पता लगा सकता है। इस संबंध में की गई कार्रवाई और उसके परिणाम को प्राधिकरण के साथ साझा किया जाए।

(प) सरकारी प्रयोक्ता को 24 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक आवंटित करते समय दूरसंचार विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईएमटी सेवाओं के लिए 67 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक संस्पर्शी उपलब्ध हो।

(ऋ) प्रतिस्पर्धा और मांग को मजबूत करने के लिए अनुशंसाएँ।

(फ) थोक आधार पर नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेस नेटवर्क प्रदाता (नेटवर्क लेयर) के अनुशंसाओं लिए एकीकृत लाइसेंस के तहत एक अलग प्राधिकार के निर्माण के संबंध में "विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने" पर भादूविप्रा की दिनांक 19.08.2021 की अनुशंसाओं पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

(ब) दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिनांक 09.10.2025 के मसौदे "दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025" में प्रस्तावित डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकार और क्लाउड-होस्टेड टेलीकॉम नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता प्राधिकारों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए।

(भ) टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग (टीडीडी) आधारित आवृत्ति बैंडों (2300 मेगाहर्ट्ज/ 2500 मेगाहर्ट्ज/ 3300 मेगाहर्ट्ज/ 26 गीगाहर्ट्ज/ 37-40 गीगाहर्ट्ज बैंड) में स्पेक्ट्रम की कुछ मात्रा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), मशीन-टू-मशीन (एम2एम) प्रदाताओं एवं कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए अलग रखी जानी चाहिए।

(म) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), मशीन-टू-मशीन (एम2एम) प्रदाताओं एवं कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क्स (सीएनपीएन) के लिए अलग रखे जाने वाले उपयुक्त आईएमटी आवृत्ति बैंडों की पहचान करने के उपरांत दूरसंचार विभाग को ऐसे स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु आरक्षित मूल्य सहित संबंधित निबंधनों और शर्तों पर अनुशंसाएँ मांगने के लिए भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजना चाहिए।

(ल) एक्सेस सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नेटवर्क कवरेज का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना पर अनुशंसाएँ

(य) एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है और जिन्हें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) (जिसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) किया गया है) की योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, उनके मोबाईल नेटवर्क कवरेज के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजना शुरू की जानी चाहिए। योजना की व्यापक रूपरेखा नीचे दी गई है:

(i) एक बार स्पेक्ट्रम नीलामी समाप्त हो जाने के बाद स्पेक्ट्रम के सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम लागत में कमी [नीलामी निर्धारित मूल्य (एडीपी) के 10% तक] का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह विकल्प सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों और सभी आवृत्ति बैंड के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) स्पेक्ट्रम लागत में कमी के बदले टीएसपी को ऐसे स्थानों की पहचान की तारीख से एक विशिष्ट अवधि (जैसे की एक वर्ष) के भीतर दूरसंचार विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों (कवरेज होल) पर अपने किसी भी आवृत्ति बैंड (मौजूदा/ नए अधिग्रहित) में स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं (4जी/ 5जी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए) प्रदान करने के लिए नए अद्वितीय बेस स्टेशनों को स्थापित करना चाहिए।

(iii) स्थापित किए जाने वाले अद्वितीय बेस स्टेशनों की संख्या का निर्धारण स्पेक्ट्रम लागत में कमी को एक नया बेस स्टेशन स्थापित करने की अनुमानित लागत से विभाजित करके किया जा सकता है। एक नया बेस स्टेशन लगाने की लागत का अनुमान लगाने के लिए नवीनतम यूएसओएफ (डीबीएन) परियोजनाओं के तहत अनुमानित साइट की लागत (पांच साल के लिए कैपेक्स एवं ओपेक्स) पर विचार करने के विकल्पों में से एक हो

सकता है। यदि दूरसंचार विभाग का यह विचार है कि यूएसओएफ (डीबीएन) परियोजनाओं के तहत लागत अधिक है तो इसे अखिल भारतीय परिदृश्य के लिए और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।

(iv) इस प्रकार स्थापित बेस स्टेशन के लिए उचित और गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य पर अनिवार्य साइट साझाकरण निर्धारित की जानी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों में अनेक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की कवरेज सुनिश्चित की जा सके।

(v) यदि किसी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में कवरेज होल कम पाये जाते हैं और इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में नए बेस स्टेशन साइटों की कम आवश्यकता होती है तो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग द्वारा अन्य लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर अद्वितीय बेस स्टेशन की स्थापना हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।

(ऍ) आरक्षित मूल्य और भुगतान विकल्पों पर अनुशंसाएँ

(र) विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों हेतु अनुशंसित आरक्षित मूल्य (20 वर्ष की अवधि के लिए) नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

20 वर्षों के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य									
सेवा क्षेत्र	600 मेगाहर्ट्ज बैंड	800 मेगाहर्ट्ज बैंड	900 मेगाहर्ट्ज बैंड	1800 मेगाहर्ट्ज बैंड	2100 मेगाहर्ट्ज बैंड	2300 मेगाहर्ट्ज बैंड	2500 मेगाहर्ट्ज बैंड	3300 मेगाहर्ट्ज बैंड	26 गीगाहर्ट्ज बैंड
	(युग्मित)					**(अयुग्मित)**			
	(रुपये करोडों में)								**(रुपये लाखों में)**

आंध्र प्रदेश	233	182	217	127	90	38	38	20	43
असम	52	47	50	28	28	9	8	4	8
बिहार	133	108	124	97	56	16	17	10	21
दिल्ली	441	327	327	214	192	73	74	34	71
गुजरात	196	151	151	108	94	37	32	17	38
हरियाणा	66	51	51	36	28	12	10	5	11
हिमाचल प्रदेश	25	20	20	13	9	7	4	2	4
जम्मू और कश्मीर	14	12	13	8	5	4	2	1	1
कर्नाटक	185	142	166	102	81	44	33	15	31
केरल	105	82	82	49	43	18	16	8	16
कोलकाता	109	81	102	62	44	20	20	11	24
मध्य प्रदेश	140	111	111	114	53	17	18	11	22
महाराष्ट्र	259	201	201	141	101	44	39	22	48
मुंबई	292	215	215	166	118	65	58	26	58
उत्तर पूर्व	14	12	12	8	4	4	3	1	1
उड़ीसा	65	53	59	34	24	10	9	5	9
पंजाब	88	68	120	49	35	18	14	7	15
राजस्थान	125	99	155	67	56	15	16	9	20
तमिलनाडु	212	164	188	100	97	55	40	17	36

उत्तर प्रदेश (पूर्व)	232	194	214	212	99	23	26	14	27
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	174	161	165	80	68	20	22	12	24
पश्चिम बंगाल	112	91	114	68	39	14	14	8	16

(ऱ) विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों के लिए अनुशंसित भुगतान विकल्प इस प्रकार हैं:

I. 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंडों के लिए भुगतान की शर्तें - दो विकल्प जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) पूर्ण या आंशिक अग्रिम भुगतान विकल्प, और

(ii) 20 समान वार्षिक किश्तों का विकल्प।

II. 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए भुगतान की शर्तें - दो विकल्प जैसा कि नीचे दिया गया है:

1. पूर्ण या आंशिक अग्रिम भुगतान विकल्प, और

(i) डिमांड नोट जारी होने से 10 दिनों के भीतर बोली राशि का 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान। खरीददार को चार वर्षों की मोहलत दी जाए (यानी दूसरे वर्ष से पाँचवें वर्ष तक कोई भुगतान नहीं करना होगा), मोहलत अवधि समाप्त होने के बाद बाकी राशि अगले उन्नीस वर्षों में (छठे वर्ष से आरंभ होकर) समान वार्षिक किश्तों में देय होगी। इन किश्तों का भुगतान मोहलत अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक वर्ष की शुरुआत

में अग्रिम रूप से किया जाएगा। भुगतान की यह व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि बोली राशि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तय ब्याज दर पर सुरक्षित रहे।

(ऐ) नए मूल्यांकन अभ्यास के संचालन के लिए आवधिकता

(ल) नए मूल्यांकन अभ्यास के संचालन के लिए आवधिकता नीचे दी गई है जो की भादूविप्रा की दिनांक 11.04.2022 की "आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" अनुशंसाएँ में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप है ।

I. मौजूदा बैंडों के लिए (आगामी नीलामी में पहली बार नीलामी के लिए रखे जा रहे बैंडों सहित) हर तीन साल में एक बार एक नया स्पेक्ट्रम मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकरण को एक उपयुक्त संदर्भ दिया जाए।

II. हर तीन साल में एक बार आयोजित आवधिक मूल्यांकन अभ्यासों के बीच अंतरिम अवधि में आयोजित नीलामियों के लिए –

(i) जिन लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में पहले की नीलामी में रखे गए स्पेक्ट्रम की बिक्री हो चुकी है उनके लिए अगली नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय नीलामी में तय की गई नीलामी कीमतों को (एमसीएलआर से विधिवत इंडेक्स करने के बाद, यदि पिछली नीलामी से एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका हो) उपयोग किया जाए।

(ii) जिन लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए जहां पिछली नीलामी में स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं हुई है पिछले अनुशंसित आरक्षित मूल्य (इंडेक्सेशन के बिना) का उपयोग किया जाना चाहिए।

III. पहली बार नीलामी के लिए रखे जाने वाले नए स्पेक्ट्रम बैंडों के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जब भी इन बैंडों को नीलामी के लिए प्रस्तावित किया जाता है प्राधिकरण को एक संदर्भ भेजा जाना चाहिए।

IV. हालांकि यदि आवश्यक हो तो दूरसंचार विभाग मौजूदा बैंडों के लिए प्राधिकरण से नए आरक्षित मूल्य की मांग कर सकता है। इसके लिए एक पूर्ण और तर्कसंगत औचित्य प्रदान किया जाना चाहिए।

6. इन अनुशंसाओ को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, **भादूविप्रा**